REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
Plot no. 25&26, Shingha Colony, Naya Kheda, Santpur,
Tehsil- Aburoad, Dist.-Sirohi (Raj)
E-mail :- rorpcb.sirohi@gmail.com

2025
International Year of Cooperatives

RPCB/RO/ Sirohi/SM-558/2588 Date: **29.09.2025**

The Member Secretary,
Environment Impact Assessment Authority (EIAA),
Indira Paryavaran Bhawan,
Jor Bagh Road, Aliganj,
New Delhi-110003.

Sub:- Minutes of public hearing dated 19.09.2025 for proposed Limestone mining project, applied by **M/s Kamlesh Meta Cast Private Limited,** applied area: 800.9935 Hectare, Village-Rohida, Bharja, Taroongi, Doliphali, Vatera, Pipla, Kharadoli, Tehsil-Pindwara, District-Srohi, Rajasthan.
Ref.:- Public hearing conducted on 19.09.2025.

Sir,

Please find enclosed herewith minutes of public hearing dated 19.09.2025 for Environmental Clearance for proposed Limestone mining project with production capacity of Limestone: 2.85 MTPA, Mineral reject: 0.24 MTPA, Soil: 0.04 MTPA & OB: 5.78 MTPA, Total excavation: 8.91 MTPA alongwith 1000 TPH crusher in mining lease area of 800.9935 Hectare, Village-Rohida, Bharja, Taroongi, Doliphali, Vatera, Pipla, Kharadoli, Tehsil-Pindwara, District-Sirohi, Rajasthan.

Besides, pen drive of videography carried out during public hearing, photographs, copy of Attendance Sheet, Copy of Newspaper publications are also being enclosed.

Submitted for kind perusal and further necessary action please.

Enclosed-
1- Copy of information published in newspapers regarding public hearing.
2- Minutes of public hearing with attendance sheet.
3- Pen Drive of Videography.
4- Photographs.

Yours sincerely,
SD
(B.R. Siyag)
Regional Officer

Copy to following for information please:-
1- Sr. PS to Member Secretary, RSPCB, Head Office, Jaipur.
2- The District Collector, Sirohi.
3- ADM, Sirohi, Distt.-Sirohi.
4- Mining Engineer, DMG, Sirohi.
5- General Manager, DIC, Sirohi.
6- Regional Office, MOEF&CC, Jaipur.
7- Bharat Nirman Rajeev Gandhi Kendra (Gram Panchayat Bhawan), Bhimana/Vatera/ Bharja & Rohida, Tehsil: Pindwara, District: Sirohi.
8- M/s Kamlesh Meta Cast Private Limited, C/o Sh. Ananya Agarwal, 5A/5D, Corporate Tower A-2, JLN Marg, Jaipur-302017 (Raj.)
9- General file of Public Hearing.

Regional Officer

अनुलग्नक - अ - 1

राजस्थानसरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट पिण्डवाड़ा जिला सिरोही

क्रमांक / 2025 / 51 दिनांक 14.08.2025

प्रेषितः—

क्षेत्रीय अधिकारी

राजस्थान राज्य पर्यावरण नियत्रण मण्डल,आबूरोड

विषयः— खनन परियोजना के लिए पर्यावरणीय जन सुनवाई के संबंध में।

प्रसंगः— श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय सिरोही के पत्रांक विकास / 1060 / 14.08.2025

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत व प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में राजस्थान राज्य प्रदुषण मण्डल आबूरोड के माध्यम से पिण्डवाडा में अनापत्ति जारी करने हेतू होने वाली जनसुनवाई M/S KAMLESH META CAST PRIVATE LIMITED द्वारा प्रस्तावित खनन परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी के लिए आवेदित क्षेत्र 800.9935 HECTARE, VILLAGE ROHIDA, BHARJA, TAROONGI, VATERA, PIPLA, KHARADOLI, TEHSIL-PINDWARA, DISTRICT-SIROHI हेतु दिनांक 19.09.2025 को प्रातः 11 बजे स्थान भारत निर्माण राजीव गांधी केन्द्र (ग्राम पंचायत भवन) भीमाणा में निर्धारित की जाती है।

अतः आप अधोहस्ताक्षरकर्ता से सम्पर्क स्थापित करते हुए निर्धारित तिथि को जन सुनवाई हेतु आवश्यक व्यवस्था की जाना सुनिश्चित कर इस कार्यालय को अवगत करावें।

उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा

क्रमांक / 2025 / 51 दिनांक 14.08.2025

प्रतिलिपिः—

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदया सिरोही को सूचनार्थ।
2. तहसीलदार पिण्डवाडा
3. विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा
4. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत भीमाणा
5. M/S KAMLESH META CAST PRIVATE LIMITED

Signature Not Verified

उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा

Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Designation : Sub Divisional Officer
Date: 2025.08.14 15:54:23 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
17193357

अनुलग्नक-अ-2

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, सिरोही

क्रमांक/विकास/2025/ दिनांक: 17.09.2025

आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/विकास/2025/1060 दिनांक 14.08.2025 द्वारा खनन योजना के लिए पर्यावरणीय जनसुनवाई दिनांक 19.09.2025 को प्रात: 11:00 बजे भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र (पंचायत भवन) भीमाणा में करने हेतु उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा को अधिकृत किया गया था ।

उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा का स्थानान्तरण हो जाने से उक्त आदेश में आंशिक संशोधन किया जाकर डॉ. राजेश गोयल अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही को अधिकृत किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे नियमानुसार सार्वजनिक जनसुनवाई करवाने की कार्यवाही सुनिश्चत करावें । शेष आदेश यथावत रहेगा ।

जिला कलक्टर,सिरोही

क्रमांक/विकास/2025/ दिनांक: 17.09.2025

प्रतिलिपि :-

1. अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
2. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य पर्यावरण नियंत्रण मंडल, आबूरोड को भेजकर लेख है कि अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही से समन्वय स्थापित कर निर्धारित तिथि एवं स्थल पर पर्यावरण जनसुनवाई हेतु समस्त व्यवस्थाऐं सुनिश्चत करावें एवं जनसुनवाई से संबंधित की गई कार्यवाही से अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही को अवगत करावें ।
3. उपखंड अधिकारी, पिण्डवाडा
4. तहसीलदार/विकास अधिकारी, पिण्डवाडा
5. ग्राम विकास अधिकारी, ग्रा.पं.भीमाणा
5. M/S Kamlesh Metacast Cast Private Limited

जिला कलक्टर,सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Alpa Choudhary
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.09.17 20:10:37 IST
Reason: Approved

अनुलग्नक – ब

जन सुनवाई में उपस्थित विभागों के पदाधिकारी, ग्रामवासी, जन प्रतिनिधियों का उपस्थिति पत्र

मैसर्स कमलेश मेटा कास्ट प्रा.लि., खनन् क्षेत्रफलः 800.9935 हैक्टेयर, ग्रामः रोहिड़ा, भारजा, तारूंगी, डोलीफली, वाटेरा, पिपला, खराड़ोली, तहसीलः पिण्ड़वाड़ा, जिलाः सिरोही, द्वारा प्रस्तावित चूना पत्थर (Limestone) खनन् परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु जनसुनवाई की बैठक।

स्थानः भारत निर्माण राजीव गांधी केन्द्र (ग्राम पंचायत भवन), भीमाणा, तहसीलः पिण्ड़वाड़ा, जिला–सिरोंही।

दिनांक : 19.09.2025 प्रातः 11.00 बजे।

क्र.स.	नाम	पद एवं विभाग / ग्राम / रहवासीय स्थान का पता	हस्ताक्षर
1.	डॉ. राजेश गोयल	अति. जिला कलक्टर सिरोही	[signature]
2.	मनसुख राम डामोर	एस. डी. ओ. पिंडवाड़ा	[signature]
3.	भँवर लाल चौधरी	Dysp पिण्डवाड़ा	[signature]
4.	शंकरलाल	TDR पिण्डवाड़ा	[signature]
5.	बी. आर. सियाग	R.O. RSPCB Sirohi	[signature]
6.	Rajat Soni	AEE, RSPCB, Abu Road Sirohi	[signature]
7.	शंकर लाल	AEE, RSPCB, Abu Road Sirohi	[signature]
8.	Hariyali Boliwal	JSO, RSPCB, Sirohi	हरियाली
9.			
10.			

11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			

27.	कर्माराम	टोकीया	कर्माराम
28.	भीखानाथ	भीमाना	भीकानाथ
29.	बदाराम	भोला	बदाराम
30.	प्रकाश	भीमाना	प्रकाश
31.	गोविन्द मालवीय	रोहिडा	[illegible]
32.	जितेन्द्र सिंह	वाडा फार्म हाउस	[illegible]
33.	लादू सिंह	तारंगी	[illegible]
34.	दशरथ सिंह	तारंगी	[illegible]
35.	भगवत सिंह	तारंगी	[illegible]
36.	जीतू सिंह	तारंगी	[illegible]
37.	चेतन त्रीवेदी	तारंगी	chetan
38.	घेल सिंह	सांगवाडा	[illegible]
39.	संदीप सिंह	पटवारी रोहिडा	[illegible]
40.	हार्दिक	पटवारी भीमाना	[illegible]
41.	जयन्तिलाल	पटवारी रोहिडा I	[illegible]
42.	रामनाथ	भीमाना नाथनगर	रामनाथ

43.	हुक्म नाथ	भीमाना नाथनगर	हुकुमनाथ
44.	किशन नाथ	भीमाना	किशननाथ
45.	भगा नाथ	भीमाना	
46.	नाग नाथ	भीमाना	नागनाथ
47.	ठाकर नाथ	भीमाना	ठाकरनाथ
48.	मोहन लाल	भारजा	मोहन
49.	देवाराम	भीमाना	देवाराम
50.	भगाराम चौधरी	भीमाना	[signature]
51.	पुराराम गजाजी	भीमाना	पुराराम
52.	रमेश कुमार	भीमाना	[signature]
53.	ओटाराम	भीमाना	ओटाराम
54.	~~निर्मला~~	भीमाना	[signature]
55.	भेराराम	रूंगी	भेराराम
56.	Sandeep संदीप	Nabera	Sandeep
57.	Manish	भीमाना	Manish
58.	VIRAM SINGH	Bhimana.	[signature]

59.	देवाराम	भीमाना	देवराम
60.	किशन लाल	भीमाना	Kish
61.	अर्जुन माली	भीमाना	अर्जुन
62.	गुजरो	भूतानाडी	
63.	भुवनेश्वर राजपुरोहित	B.J.P. जिला मंत्री सिरोही	
64.			
65.			
66.			
67.			
68.			
69.			
70.			
71.			
72.			
73.			
74.			

75.			
76.			
77.			
78.			
79.			
80.			
81.			
82.			
83.			
84.			
85.			
86.			
87.			
88.			
89.			
90.			

जन–सुनवाई कार्यवाही विवरण

मैसर्स कमलेश मेटा कास्ट प्रा.लि., प्रस्तावित चूना पत्थर (Limestone) खनन् परियोजना, ग्रामः रोहिड़ा, भारजा, तारूंगी, डोलीफली, वाटेरा, पिपला, खराड़ोली, तहसीलः पिण्ड़वाड़ा, जिलाः सिरोही, राजस्थान। उक्त परियोजना में उत्पादन क्षमता निम्नानुसार प्रस्तावित हैः–

क.सं.	खनन् क्षेत्रफल	मिनरल / गतिविधि	क्षमता
1	800.9935 हैक्टेयर	चूना पत्थर	अ. चूना पत्थर–2.85 MTPA ब. खनिज अस्वीकृत (मिनरल रिजेक्ट)–0.24 MTPA स. मिट्टी–0.04 MTPA द. ओवर बर्डन (ओ.बी)–5.78 MTPA <u>कुल क्षमता</u>ः 8.91 मिलियन टन प्रति वर्ष
2	क्शर		1000 TPH

द्वारा प्रस्तावित चूना पत्थर (Limestone) खनन् परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जनसुनवाई, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं समय–समय पर जारी संशोधित नोटिफिकेशन के प्रावधानों के तहत, दिनांक 19 सितम्बर, 2025 को प्रातः 11:00 बजे आयोजित की गई जिसका कार्यवृत्त विवरण निम्नानुसार हैः–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित नोटिफिकेशन के प्रावधानों की अनुपालना में कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, पिण्ड़वाड़ा, जिला–सिरोही के पत्र क्रमांक / 2025 / 51

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
सिरोही (राज.)

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

दिनांक 14.08.2025 **(अनुलग्नक–अ–1)** एवं कार्यालय जिला कलक्टर, जिला–सिरोही के पत्र क्रमांक / विकास / 2025 / दिनांक 17.09.2025 **(अनुलग्नक–अ–2)** के अनुक्रम में दिनांक 19 सितम्बर, 2025 को प्रातः 11:00 बजे, स्थानः भारत निर्माण राजीव गांधी केन्द्र (ग्राम पंचायत भवन), भीमाणा, तहसील–पिण्डवाड़ा, जिला–सिरोही, राजस्थान में मैसर्स कमलेश मेटा कास्ट प्रा.लि., ग्रामः रोहिड़ा, भारजा, तारूंगी, डोलीफली, वाटेरा, पिपला, खराड़ोली, तहसीलः पिण्डवाड़ा, जिलाः सिरोही, खनन् क्षेत्रफल 800.9935 हैक्टेयर की प्रस्तावित चूना पत्थर (Limestone) खनन् परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सिरोही, श्री बी.आर. सियाग द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही, डॉ. राजेश गोयल की अध्यक्षता में आयोजित की गयी।

जन–सुनवाई में उपस्थित अधिकारीगण, जनप्रतिनिधि एवं क्षेत्र के ग्रामवासी व अन्य का उपस्थिति पत्र मय हस्ताक्षर संलग्न है **(अनुलग्नक–ब)**।

उक्त जन–सुनवाई के लिए समाचार पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 17.08.2025 और राजस्थान पत्रिका में दिनांक 18.08.2025 को आम सूचना प्रकाशित की गई थी। समाचार पत्रों की प्रतियाँ संलग्न है **(अनुलग्नक–स)**।

जन सुनवाई के फोटोग्राफ **(अनुलग्नक–द)** एवं विडियो रिकोर्डिंग की पेनड्राईव संलग्न है **(अनुलग्नक–य)**।

उक्त जनसुनवाई के प्रचार प्रसार हेतु आस–पास की ग्राम पंचायतों यथा वाटेरा, रोहिड़ा, भारजा, तारूंगी, डोलीफली, पीपला, खराडोली, तहसील पिण्डवाड़ा जिला सिरोही में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जनसुनवाई आयोजन बाबत् चलित वाहन द्वारा रेड़ियो मुनादी दिनांक 18.09.2025 को करवाई गई।

अतिरिक्त जिला कलक्टर की अनुमति से जन सुनवाई की कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए क्षेत्रीय अधिकारी ने उपस्थित जन–समूह को जन सुनवाई के प्रावधानों, उद्देश्यों तथा महत्व के बारे में बताते हुए उपस्थित जन समूह से यह अपील की, कि वे,

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
सिरोही (राज.)

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन् परियोजना के बारे में जो जानकारी दी जायेगी उसे सुने, तत्पश्चात् यदि इस बाबत् कोई सुझाव या शिकायत हो तो कृपया सबसे पहले आप अपना परिचय दें, जिसमें आपका नाम बतावें साथ ही अपना सुझाव/शिकायत जो भी हो लिखित अथवा मौखिक जैसा आप उचित समझे, हमें दे सकते हैं।

उन्होंने यह भी अवगत कराया कि इस जन सुनवाई के दौरान आप द्वारा जो भी सुझाव या शिकायत दी जायेगी चाहे वह लिखित हो या मौखिक हो उसे हम कलमबद्ध करेंगे तथा जन सुनवाई में होने वाली कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी की जा रही है। उक्त सभी को सक्षम स्तर पर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जायेगी।

साथ ही क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जन समुदाय को अवगत करवाया कि यह जनसुनवाई प्रस्तावित परियोजना को आज ही पर्यावरण स्वीकृति जारी करने हेतु आयोजित नहीं की जा रही है, आप द्वारा उक्त परियोजना के सम्बंध में जो भी शिकायत/सुझाव/ज्ञापन प्रस्तुत किये जायेंगे वो सक्षम स्तर पर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जायेंगे।

तत्पश्चात् क्षेत्रीय अधिकारी ने परियोजना प्रस्तावक के द्वारा अधिकृत तकनीकी सलाहकार से आग्रह किया कि वे इस प्रस्तावित चूना पत्थर खनन् परियोजना के बारे में उपस्थित ग्रामवासियों/जनसमूह को अवगत करायें।

इसके पश्चात् तकनीकी सलाहकार द्वारा परियोजना घटनाक्रम, जनसुनवाई का विज्ञापन, परियोजना प्रस्ताव और परियोजना स्थल, भूमि उपयोग व पुनर्ग्रहण योजना, वर्षवार हरित पट्टी/वृक्षारोपण विकास योजना, खदान क्षेत्र की संकल्पनात्मक योजना, अध्ययन क्षेत्र की पर्यावरण परिस्थिति, परियोजना की आवश्यकता, खनन् विवरण, निगरानी स्टेशनों को दर्शाने वाला मानचित्र, पर्यावरण आधारभूत निगरानी स्टेशन 10 कि.मी. Windrose/पवनारेखों के साथ मौसम संबंधी विवरण, पर्यावरण आधारभूत आंकड़ों का सारांश, वायु, शोर और कंपन गुणवत्ता प्रबंधन योजना, जल प्रबंधन की योजना एवं जनकल्याणकारी गतिविधियां के लिए प्रस्तावित बजट से

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
सिरोही (राज.)

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

सम्बंधित जानकारी उपस्थित ग्रामवासियों/जनसमूह को प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बताई गई।

तत्पश्चात् क्षेत्रीय अधिकारी ने उपस्थित जनसमुदाय को अपने सुझाव/विचार/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया। उपस्थित जन–समुदाय द्वारा प्रस्तुत सुझाव/विचार/आपत्ति/आक्षेप का विवरण निम्नानुसार है:–

1. **श्री भुवनेश राजपुरोहित,** पूर्व जिला मंत्री, भाजपा सिरोही द्वारा अवगत करवाया गया कि आज इस जनसुनवाई में पधारे हमारे ए.डी.एम. साहब की संवेदनशीलता की प्रशंसा करना चाहूंगा कि आप द्वारा अंदर आते ही आपने देखा कि यह भीड़भाड़ वाली जगह है और इस जनसुनवाई को बाहर करवाया जाए। साथ ही कमलेश मेटा कास्ट द्वारा दिये गये प्रस्तुतीकरण में जो बिंदु वे चूक गए थे, उन पर आप द्वारा ध्यान आकर्षित किया गया, इस पर हम आपके व्यक्तित्व और संवेदनशीलता की खुले दिल से प्रशंसा करना चाहेंगे। चूंकि यहां के ग्रामीणों का शैक्षणिक स्तर मध्यम अथवा मध्यम से निचले स्तर का है अतः आप द्वारा जो बातें बताई गई हैं, वे मुझे और यहां के ग्रामीणों को समझ नहीं आई है। कृपया इसे आसान भाषा में समझाएं। राजस्थान सरकार से जो आपने माईनिंग की एनओसी प्राप्त की है, उससे पहले जनसुनवाई प्रस्तावित होती है या नहीं होती है? साथ ही उस समय ग्राम पंचायत से एनओसी की आवश्यकता होती है या नहीं? मैं उक्त प्रश्नों की जानकारी आपसे चाहूँगा। इस खनन् से निकलने वाले पत्थर का आप द्वारा कोई प्लांट जैसे सीमेन्ट प्लांट लगाया जायेगा या फिर माईनिंग का पत्थर कहीं सप्लाई होगा। इस खनन् में चारों ग्राम पंचायतों से एनओसी की क्या स्थिति है? आपने प्राप्त कर रखी है या नहीं? या आवश्यकता होती है या नहीं होती है? अभी यह शुरुआती चरण है तथा अभी खदान आवंटित नहीं हुई है और आज यह जनसुनवाई पर्यावरण की स्वीकृति लेने हेतु है। यहाँ हमारा जो दृष्टिकोण है और लोगों को कल से जैसे ही इस जनसुनवाई हेतु पता चला तो सोशल मीडिया पर भी और ग्रामवासी भी विरोध हेतु एकत्र हुये तथा उनकी जो आपत्तियां थी उसमें मैंने भी उसमें कुछ आपत्तियां

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
सिरोही (राज.)

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अपने हिसाब से देखी हैं। सबसे पहले पर्यावरण क्षतिः यहाँ पर प्रस्तावित क्षेत्र में खनन् से ध्वनि एवं वायु प्रदूषण में भारी वृद्धि होगी। उड़ने वाले धूल के कणों से कृषि उत्पादन प्रभावित होगा। दूसरा, यहाँ सिलिकोसिस के मरीज पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा है और स्वरूपगंज में एक गली है, हमारे मेघवाल समाज के भाई–बंधुओं की, उस एक गली में 60–70 प्रतिशत युवाओं की मृत्यु हो चुकी है, वहाँ सभी विधवाएं रहती हैं। यह परिस्थिति है। धूल के कणों से सिलिकोसिस में और वृद्धि होगी। लोगों के स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ेगा तथा अगला महत्वपूर्ण बिन्दु है–वन्य और जैव विविधता पर खतरा। आप सभी को पता है कि रोहिड़ा क्षेत्र में एक तेंदुए ने एक बालिका को शिकार बनाया था तथा उसके बाद में पूरे क्षेत्र को भय है कि कब यहाँ से भालू निकलेगा और कब यहाँ से चीता निकलेगा और देखें भी है कई लोगों ने। तो जब खनन् होगा तब वन्य जीव वहाँ से निकलकर गांवों की ओर आयेंगे। यह इनकी बड़ी समस्या रहेगी। स्थानीय जनता पर असर–यह क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य है। यहाँ लोगों की आजीविका का मुख्य साधन कृषि है। अब आपके जो खनन् के डम्पर चलेंगे, जो भी मशीनरी जायेगी, भारी वाहनों की आवाजाही से ग्रामीण मार्ग क्षतिग्रस्त होंगे, दुर्घटना का खतरा बढ़ेगा। आदिवासी एवं गरीब किसान परिवार अपने खेत–खलियान से सीधे प्रभावित होंगे। चौथा बिन्दु हैः सामाजिक एवं आर्थिक परिणाम। परियोजना से स्थानीय जनता का प्रत्यक्ष लाभ कुछ भी नहीं है, वह कमलेश जी ने भी स्वीकार कर रखा है कि पूर्णतः ऑटोमेटिक मशीने लगेंगी, जिसमें 80–100 आदमी लगेंगे। उसमें भी अधिकतर प्रशिक्षित स्टाफ बाहर का रहेगा। हम यदि मॉर्डन इन्स्युलेटर लि. या जे.के लक्ष्मी सीमेन्ट या अल्ट्राटेक, ऐसी कोई यूनिट लगती तो हमारे यहाँ से हजारों लोग यदि लगते, तो शायद हम रोजगार के हिसाब से आपका समर्थन वं अभिवादन करते, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आपने स्थानीय लोगों की बात कही, तो मैं, श्रीमान अति. जिला कलक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि जैसे पास में ही प्लांट है अल्ट्राटेक सीमेन्ट और जे.के. लक्ष्मी सीमेन्ट, यहाँ पर केवल स्थानीय लोग मजदूर हैं, जो वहाँ पर मजदूरी करते हैं बाकी वहाँ का जो स्टाफ है, वह पूरा बाहर का है और वर्तमान

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
सिरोही (राज.)

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

में जे.के लक्ष्मी सीमेन्ट में वहाँ की छटनी की, माननीय नरपत सिंह जी बिराजे हैं, उनके भी एक परिवार के सदस्य थे, उनको भी हटा दिया था और जो हटाये हुए लोग थे वो केवल स्थानीय थे।यह स्थिति है स्थानीय और बाहरी रोजगार की। पांचवा बिन्दु हैः प्राकृतिक संतुलन व विरासत का विनाश। यह लिलुडी बड़ली की वीर भूमि है, राजस्थान का जलियाँ वाला बाग यहीं है, इसी क्षेत्र में पुरखों से मिली ऐतिहासिक पहाड़ियां, प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो जायेंगे। प्रकृति के साथ ऐसा खिलवाड़ भविष्य में गंभीर दुष्परिणाम ला सकता हैं। अतः माननीय ए.डी.एम. साहब, एस.डी.एम. साहब और पी.सी.बी. के क्षेत्रीय अधिकारी साहब, माननीय डिप्टी साहब व तहसीलदार साहब और मंचासीन सभी अधिकारियों से निवेदन है कि यह प्राथमिक स्टेज है तो ग्रामवासियों की लगभग–लगभग भावना यही है कि यह मानईनिंग यहाँ पर निरस्त हो और आगे की प्रकिया नहीं हो। यदि हम ग्रामवासियों में से कोई ऐसा व्यक्ति हो, जो इस खदान के आने से खुश हों, और चाहता हो कि यह खदान इस गांव में आए, तो वह भी अपना हाथ खड़ा करे। माननीय ए.डी.एम. साहब शत–प्रतिशत लोग इसके खिलाफ हैं, और आपसे निवेदन है कि हम सब लोग यहाँ इसके रोकथाम के लिए आए हैं, इनके समर्थन में कोई नहीं है। हम रोजगाार, भारत के विकास और उनके साथ है। हमारी ऐसी कोई मानसिकता नहीं है कि इनका विरोद्ध करें और ऐसा कुछ नहीं है। वाजिब जो इनकी आपत्तियां है और वास्तव में जो आपत्तियां है, यह आपको अवगत करवाया है और आपके माध्यम से यह मैं कहना चाहूंगा कि इनका बहुत बड़ा 32,000.00 बीघा (800 हैक्टेयर) लगभग 4–5 गांव इसमें आ जाते हैं, इतना बडा काम है, तो यह केवल पिण्डवाड़ा या सिरोही या जालोर या पाली लेवल का नहीं है। इसमें बहुत बडे लोग, चाहे वे राजनीतिक दलों से हो चाहे अधिकारी हों या सरकार में सीधा हस्तक्षेप रखते हों, ऐसे लोग होंगे। माननीय ए.डी.एम. साहब से निवेदन करेंगे कि जनभावना, किसानों, लोगों, आदिवासियों को और यहाँ के क्षेत्र की परिस्थितियों को देखते हुए यहाँ की जो भावना है, वह आगे हमारी बात रखेंगे आपके माध्यम से और बिना किसी प्रभाव या दवाब से हमारे आर.ओ. साहब से निवेदन है कि आप भी अपनी रिपोर्ट

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
सिरोही (राज.)

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

बनायेगें। किसी का भी दबाव, लाड़ साहब कोई भी हो, यहाँ जो हो रहा है, वही आप बनायेगें और माननीय ए.डी.एम. साहब और एस.डी.एम साहब से निवेदन है, यहाँ की जो वास्तविक स्थिति है, इसको लेकर, वो आप आगे रखेंगे। माननीय ए.डी.एम. साहब इस क्षेत्र की ग्रामीण जनता का बड़ा दुर्भाग्य है कि इनको कल ही पता चलता है कि कल यह जनसुनवाई होने वाली है, और आज जनसुनवाई होती है। हमारे कमलेश जी, इनके जो कम्पनी के हैं और हमारे जो पी.यू.सी के है, वे आनन–फानन में आकर 50–25 कुर्सियां अन्दर लगवा कर बैठक व्यवस्था करते हैं, इसका मतलब इनका भी दाल में कुछ काला था। मैं माननीय ए.डी.एम. साहब को धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने इस बात को समझा और जनभावना को समझ को पूरा स्टेज बाहर लेकर आये। जनता सब खड़ी है, अधिकारी सब बिराजे हैं, जनप्रतिनिधि और ग्रामीण बंधु बिराजे हैं, माननीय ए.डी.एम. साहब, ऐसा का ऐसा कुछ समय पहले यू.आई.टी को लेकर हुआ था। हमारे 29 गांव, लोगों को पता नहीं था कि यू.आई.टी में उसकी गजट नोटिफिकेशन जारी हो चुकी थी, इन्हीं गांव वासियों ने, इसी क्षेत्र में, भारजा में, इसका विरोद्ध कर, माननीय मुख्यमंत्री से मिल कर वो 2 माह पूर्व निरस्त करवाया है। यहाँ तो अंतिम समय में पता चल जाता है, इसके पीछे भी बहुत सारी चीजें होती हैं, उसके हम संज्ञान में नहीं जायेगें, लेकिन आज भीमेश्वर जी की इस धरती पर यह निवेदन जरूर करेंगे कि यदि क्षेत्र के लोगों को विश्वास में लेकर, यदि यह राजी है यह इनसे सहमत हो जाते हैं, तो हमें कोई आपत्ति नहीं हैं। लेकिन इनकी जनभावनाओं और इनकी समस्याओं को सुने बिना, यदि चाहें कोई कितना भी बड़ा अधिकारी हो या नेता हो, उसकी यह जनता जनार्दन चलने नहीं देगी। धन्यवाद।

2. **<u>श्री तुषार पुरोहित,</u>** ग्रामवासी वाटेरा, द्वारा बताया गया कि इस जनसुनवाई में स्वीकृति नहीं जारी करने के संदर्भ में अपनी आपत्ति दर्ज करवा रहा हूँ। सविनय निवेदन है कि आपके विभाग के पत्र क्रमांक एस.एम. 558/2012 के संदर्भ में प्रस्तावित खनन् परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के निम्न बिन्दुओं के आधार पर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर रहा हूँः–

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
सिरोही (राज.)

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

1. वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर सीधा खतराः खनन् से उत्पन्न धूल कण पीएम 2.5 और पीएम 10 वातावरण में मिलकर हवा को विषाक्त करेंगे। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि धूल और डीज़ल चलित भारी वाहनों का धुंआ मिलकर फेफड़ों के केन्सर, दमा, ब्रोकाईटिस जैसी बिमारियों को बढ़ावा देता है। बच्चे, गर्भवती महिला और बुजुर्ग इस प्रदूषण से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे।

2. जल स्त्रोत व भूजल स्तर पर खतराः खनन् के दौरान भारी मात्रा में पानी की खपत होगी जिससे पहले से ही जल संकट झेल रहे क्षेत्र का भूजल स्तर और नीचे चला जायेगा। खदान से निकलने वाले अपशिष्ट व रसायनिक पदार्थ आस– पास के कुओं, बावड़ियों और नालों को प्रदूषित करेंगे। यह सीधे तौर पर ही किसानो की सिंचाई व्यवस्था और गांवों के पेयजल आपूर्ति पर प्रहार करेंगें।

3. कृषि और खाद्य सुरक्षा पर दुष्प्रभावः उड़ती धूल फसलों की पत्तियों पर जमकर प्रकाश संश्लेषण को बाधित करेंगी जिससे उत्पादन घटेगा, खेत बंजर हो जायेगें और लम्बे समय में स्थानीय किसान पूरी तरह कर्ज और पलायन की स्थिती पहुँच जायेंगे। इसका सीधा असर क्षेत्र की खाद्य सुरक्षा पर पड़ेगा जो संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत् सरकार की जिम्मेदारी है कि उनकी रक्षा करें।

4. वनस्पती, वन्यजीव और विविधता पर संकटः यह क्षेत्र प्राकृतिक वन्यजीव गलियारों का हिस्सा है, खनन् से तेंदुऐं, सियार, लोमड़ी, खरगोश और दर्जनों पक्षियों का आवास नष्ट हो जायेगा। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार सिरोही–आबू क्षेत्र संवेदनशील जैव विविधता क्षेत्र है। पेडों की कटाई व मिट्टी की ऊपरी परत नष्ट होकर पुनः विकास असंभव हो जायेगा।

5. सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत पर असरः प्रस्तावित खनन् क्षेत्र में कहीं ऐतिहासिक व धार्मिक महत्व की पहाडियां मौजूद हैं। यह केवल चट्टाने नहीं बल्कि स्थानीय संस्कृति, आस्था एवं परम्परा की धरोहर है। खनन् से इनका विनाश सांस्कृति नरसंहार के समान होगा।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
सिरोही (राज.)

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

6. आदिवासी समाज और आजिविका पर संकटः पिण्डवाड़ा तहसील को टीएसपी (Tribal Sub Plan) क्षेत्र घोषित कर रखा है, जहाँ अधिकांश जनसंख्या आदिवासी है, गरीब किसान परिवारों की है, उनकी आजिविका का मुख्य साधन कृषि और पशु पालन है, जो खनन् से बरबाद हो जाएगा। आदिवासी समाज के संविधानिक अधिकारों और पेसा कानून, 1996 की पालना का सीधा उल्लंघन है।

7. पर्यावरणीय कानून और संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघनः भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ, स्वस्थ और जीवन का अधिकार देता है। अनुच्छेद 48(ए) राज्य को पर्यावरण एवं वन्य जीवों की रक्षा का निर्देश देता है, लेकिन हमारे जिम्मेदार ऐतिहासिक पहाड़ों को खत्म करने के लिए तुले हैं। हर नागरिक पर्यावरण की रक्षा का दायित्व सौंपता है। इस परियोजना की स्वीकृति इन सभी प्रावधानों का उल्लंघन है।

8. जलवायु परिवर्तन एवं भविष्य की पीढ़ीयों पर प्रभावः खनन् से स्थानीय तापमान बढ़ेगा, वर्षा का चक्र प्रभावित होगा, भूमि का क्षरण होगा। राजस्थान पहले से ही जलवायु परिवर्तन के कारण मरूस्थलीय और सूखे की चपेट में है। यह परियोजना आने वाली पीढियों के लिए पर्यावरणीय आपदा सिद्ध होगी।

अतः आपसे निवेदन है प्रस्तावित खनन् परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल प्रभाव से निरस्त होनी चाहिए। इस क्षेत्र को संवेदनशील पर्यावरणीय क्षेत्र घोषित कर भविष्य में खनन् पर रोक लगाई जानी चाहिए। जनसुनवाई में मेरी आपत्ति को विधिवत दर्ज कर गंभीरता से संज्ञान लिया जाए। यदि इस योजना की स्वीकृति दी जाती है, तो लाखों पेड़–पौधों और प्राकृतिक धरोहर नष्ट हो जायेंगे। आदिवासी समाज और किसान परिवार का जीवन उजड़ जायेगा। जल, जंगल और जमीन पर संकट आ जायेगा। जनता में आक्रोश है, उग्र आंन्दोलन की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। यह केवल एक परियोजना का मुद्दा नहीं है बल्कि प्रकृति बनाम विनाश का प्रश्न है। माननीय ए.डी.एम.

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
सिरोही (राज.)

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

साहब इस पर संज्ञान लेकर पर्यावरणीय स्वीकृति को तुरंत प्रभाव से रोका जाये और विडंबना का विषय यह है कि 14 अगस्त को पत्र जारी होता है लेकिन जो प्रभावित क्षेत्र की ग्राम पंचायत है, उनको कम्पनी द्वारा सूचना नहीं दी जाती। कल जैसे–तैसे कर के हमारे पास पत्र पहुंचता है, ग्रामीण जागृत होतें हैं, बैठक करते हैं, फिर ज्ञापन तैयार होते हैं, आपत्तियां तैयार होती हैं। क्या यह जिम्मेदारी नहीं थी कि जो जनसुनवाई होनी थी उसके लिए सम्बंधित विभाग, ग्राम पंचायतों को पत्र दिये जाते। लेकिन पंचायतों को पत्र नहीं पहुंचा। ग्राम विकास अधिकारी बता रहें हैं कि हमें भी कल ही सोशियल मीडिया के माध्यम से पता चला है और आज सुनवाई हो रही है। आज सुनवाई के लिए जनता खड़ी है साहब, यह कम्पनी की व्यवस्था है कि जनसुनवाई खुले मैदान में होती है, यह मैं नहीं कह रहा यह कानून के नियम कहते हैं, लेकिन अधिकारी चार इन कमरों में सुनवाई करके कम्पनी से आपसी सांठगांठ करके लोगों के कुठाराघात करना चाह रहें हैं। यह जनता स्वीकार नहीं करेगी। क्या आप सभी मेरी बात से सहमत हैं? धन्यवाद।

3. **<u>श्री मुकेश ओझा,</u>** पूर्व सरपंचपति, वाटेरा द्वारा पूछा गया कि, कम टाईम के अन्दर, एक रात में एक महौल बना और आपके सामने गुब्बारा तैयार है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि बड़े विकल्प के साथ में जब चलना होता है, तो मोदी जी कहते है–सबका साथ, सबका विकास; इस बात को आपने समझा ही नहीं। श्रीमान् जी आपने कहा 28 लाख वार्षिक टन, तो आप अंदाजा लगाओ कि कितनी गाड़ियाँ आयेंगी और कितनी गाड़ियाँ जायेंगी। 1000 टन का क्रशर तो शायद आप क्रशर की अनुमति के लिए यहाँ पधारे हैं। बाकी बहुत सी बार मुझे लगा है कि आप क्रशर के पास से होकर भी गुजरे होगें और उस जगह आस–पास के क्षेत्र में अपने खेतों की स्थितियाँ क्या होती है, क्या नहीं होती है, भलीभांति दोनों आखों से साफ रूप से देखी हैं। अपने यहाँ पर बिनानी सीमेन्ट, अल्ट्राटेक सीमेन्ट में यही एक दौर शुरू हुआ था, श्रीमान् एस.डी.एम. साहब आप स्थानीय है, आपको पता है कि थोड़े दिन पहले वहॉ जन सुनवाई के दौरान ऐसे ही कार्यवाही काफी प्राथमिकता के रूप

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
सिरोही (राज.)

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

में हुई। जनता का विरोध भी हुआ और वह विरोध अखबारों में भी जाहिर हुआ, उसके बाद भी जन समस्याओं से मानव जीवन को संकट में डाल कर, किसानों के जीवन को संकट में डाल कर और सब से बड़ी धरोहर अपनी राजस्थान की रही है, वो पशुपालकों के मवेशियों की रही है, उनके जंगल समाप्त करके आप बड़े बड़े उद्योगपतियों को अपनी रचनाएं, अपनी फैक्ट्रियां, उनको सुपुर्द करने के लिए मदद करते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपके द्वारा यह स्वीकृति हो भी जायेगी, कर भी दोगें, यूनिट शुरू भी हो जायेगी, उसके बाद आप कहीं और जगह पोस्टिंग पर होंगे। दूसरी बात, प्रशासन इन गाँववासी जो यहाँ खड़े हैं, उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं होगा। भौगोलिक स्थितियों से आप लोग वाकिफ नहीं हैं। मैं मेरी गांव की भौगोलिक स्थिति समझ सकता हूँ। भीमाना, भारजा हम सब सहपाठी, आस–पास के रहने वाले लोग हैं, जो समझ सकतें हैं कि कोई भी बड़ी यूनिट चलती है तो डीप के अन्दर काफी पहाड़ बने हुये है, डीप में बहुत जंगल है, वहाँ तक करो। आपको गाँव की भूमि, गाँव के पास की जमीने ही क्यों नजर आती है? यह बात मेरे दिमाग में स्पष्ट नहीं हुई है। रेल्वे द्वारा, अपने यहाँ पर बड़ी अच्छी योजना के साथ में अन्डर ब्रिज भी बने है पानी के, तो आबूरोड़ से लगाकर पिण्डवाड़ा तक हर ग्रामवासी इन पानी के अन्डर ब्रिजों का भुगतान आज भी कर रहे हैं, जहाँ पर छोटी मोटी गाड़ियां आज भी निकल सकती थी, यह भी एक आपका एक बड़ा सुन्दर प्लान था और जनता खुश भी हुई थी कि बार–बार फाटक बंद होंगे–खुलेंगे, इस समस्या से निजात पायेंगे। बाकी करना कुछ था और उस जगह पर हुआ कुछ है, इस बात की साक्षी के लिए कोई अगर सुखी है तो वे हाथ खडा करें और अगर कोई दुखी है, तो वे हाथ खडा करें। यह आपकी बहुविकल्पीय व्यवस्था का एक जीता–जागता उदाहरण है। आप इस बात को समझ सकते हैं। वापस कोई अधिकारी स्वरूपगंज, हमारे यहां के सभी गांव आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं। हमारे यहाँ धीरूभाई अम्बानी या अजीम प्रेमजी और जो भी अधिकारी हैं, वे निवास नहीं करते हैं, हमारे यहाँ पर काश्तकार है, जो मजदूरी करता है, भेड़–बकरी चराता है, एक छोटा किसान है जो 4–5 बीघा के अन्दर बैठता है, वह

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
सिरोही (राज.)

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अपनी व्यवस्था कैसे भी कर अपना गुजारा निकालता है और आप कह रहे हो कि पर्यावरण के लिए मिट्टी के कण उड़ेंगे, वहाँ पर हम स्कूल की व्यवस्था देगें, उनकों ट्रेनिंग देंगे, वृक्षारोपण करेंगे। अगर आपके पास में उस मिट्टी से अल्ट्राटेक सीमेन्ट, जे.के. सीमेन्ट और यह अपनी भुजेला में क्रशर देख लो, एक छोटी यूनिट है उसके आस पास में कोई झाड़ पनप नहीं पाया, तो आप अपने ख्वाब में, आप अपनी अच्छी स्कीम में, कहाँ झाड़रोपण और वृक्षारोपण कर पाओगे, यह आपकी किताबों में बहुत सुन्दर है। हमें भी अच्छा लगता है, मगर हमारा स्थानीय वैकल्पिक जीवन जो जनता का है, वह बड़ा संकटमय हो जायेगा। दूसरी बात, श्रीमान् उक्त प्रस्तावित खनन् योजना के पर्यावरणीय जनसुनवाई को पूर्ण रूप से मैं आपत्ति करती हूँ, सरपंच महोदया, मेरी धर्मपत्नी लिखकर दे रही हैं। मैं मेरी मौखिक रूप से बताता हूँ कि इस ऐप्लिकेशन में क्या लिखा है, कि हमारे गाँव की पश्चिम दिशा में, रेल्वे के पास, वहाँ केन्द्र सरकार द्वारा रेल्वे यार्ड बन रहा है, जो 400 बीघा–500 बीघा जमीन पहले ही आरक्षित कर चुका है, उसके पास में भीमाणा की तरफ उत्तर दिशा में 300–400 बीघा जमीन प्रस्तावित है। वहाँ पर रेल्वे यार्ड और बनने वाला है। तीसरी बात, गाँव की तरफ कम से कम 300–400 बीघा के अन्दर हमारे गोचर, बिला नाम की भूमि जो सरकार कहती है कि हमारी जमीन है वहाँ पर कई लोग अतिक्रमण के रूप में बैठे हुए है, किसी ने खेत बिगाडा है, किसी ने घर बनाया है और यह हमारे काश्तकार और देवासी समाज के लोग यहाँ खड़े है, सुन रहे है, उनको पत्थर मार के वहाँ से बाहर निकालते है कि इस जमीन पर लेने क्या आया तो उन पशु पालको को श्रीमान् किस तरफ जाना पडेगा, यह इस बात को आप स्पष्ट करें। इसके अतिरिक्त आप आदिवासियों को कहते हो कि वन अधिकार दिया जाये, जहाँ आपका मन हो, जहाँ आपका घर हो सरकार अपनी योजना देने के लिए तैयार है, तो उस वन अधिकार के अन्दर यह खनन् के अन्दर इतनी पर्याप्त मात्रा नहीं है और वहाँ से आदिवासियों को काफी नुकसान होगा, उनका जीवन संकटमय होगा। आप बहुउद्देश्य योजना बना के ग्रामीण के लाभ के अन्दर अपना पक्ष रखें।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
सिरोही (राज.)

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

4. **<u>श्री राजू जणवा</u>**, ग्रामवासी, वाटेरा द्वारा अवगत करवाया गया कि सामने बैठे किसान, जनता जो धूप में तप कर यहां पर आई है उन्हें सूचना मिल गई है और यह सूचना 14 अगस्त की है। हम यह चाहते है कि हमने तो जो भी आपत्ति थी दे दी, लेकिन सरपंच साहब है जो तीनों–चारों गांवों के वो यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे? उनके मन में क्या है? वो हम यहाँ पर सुनना चाहते हैं।
5. **<u>श्री हेमेन्द्र सिंह</u>**, प्रशासक (सरपंच), भीमाणा द्वारा बताया गया कि, जो हमारे पास सूचना आई है कि सरपंच साहब ने तो इन लोगों को एनओसी दे दी है। ना हमने एनओसी दी है, तीनों सरपंचों ने हमको सूचना दी है यह जनसुनवाई के लिए, आपत्ति के लिए, इस कम्पनी के द्वारा तीनों सरपंचों को यह बोला गया है कि आप लोगों की बात इस मंच के जरिए अधिकारियों के बीच में रखी जाएगी। हम आपके बीच में खड़े हैं। हम आपके है, हम आपसे अलग नहीं हो सकते। और जिन लोगों ने हमारे प्रति गलत भावना फैलाई है, आप लोगों के बीच में, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने हमको बोला है कि कम्पनी वालों ने हमको खरीदा है क्या, कोई एक आरोप लगा ले, मैं आज ही इस्तीफ़ा देकर चला जाऊँगा यहाँ से। और किसी को कुछ कहना है मेरे प्रति? मैं इस गांव को भी आश्वासन देकर आया हूँ और मैं इन तीन पंचायतों को आश्वासन देना चाहता हूँ, हम हमारी बात, अपनी विडंबना अधिकारियों के सामने रखेंगे व हमने यह सारे लेटर दिए है, जो आपत्तियां आई है, उनके सामने है, और ए.डी.एम साहब ने भी बोला है, यह सिर्फ जनसुनवाई है। अभी इनको एनओसी नहीं दी है किसी ने, यह भी आपके बीच में साफ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एनओसी दे दी। किसी सरपंच ने एनओसी नहीं दी है। हमारी माँग रखी है कि अगर यहाँ खनिज क्षेत्र होगा तो हमारे विकास के लिए क्या होगा? हम यह कह सकते हैं। अगर यह नहीं होगा, अगर यह प्लांट नहीं लगेगा, तो आप लोगों के लिए वह हमारे लिए भी है। आप हमारे है, हम आपके है। आपसे हम अलग थोडी है, आपसे हम अलग हो तो बोलो? आपका हम पार्ट है। हमारे ऊपर जो आरोप लगाये हैं, और आप लोगों के सामने कहना चाहता हूँ, हम तीन सरपंच आपके बीच में खड़े है, पुखराज जी, सविता जी वाटेरा। हमारे

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
सिरोही (राज.)

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

तीनों के बीच में एक दिन में क्या बात हुई है क्या नहीं, वह भीमेश्वर बावजी जानते हैं। हमने किसी को एनओसी नहीं दी है ना हमारी कोई बैठक नहीं हुई है इस बारे में। किसी गाँव वालों के प्रति व हमारे प्रति गलत फहमी फैलाई गई है। मैंने भीमेश्वर जी चौक में इकट्ठा होकर अपने गांव वालों को संतुष्ट किया। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि, हम बिकने वालों में से नहीं, काम करने वालो में से हैं।

6. **श्री मेघाराम गरासिया**, पंचायत समिति सदस्य द्वारा बताया गया कि, मैंने भी रात को एक कम्पनी के नाम से, कमलेश मेटाकास्ट प्रा.लि., द्वारा 800 हैक्टेयर यानी 3200 बीघा के उपर की जमीन किसी कम्पनी को सीमेन्ट प्लांट के लिए दिया जा रहा है। यह मैंने किसी न्यूज में देखा था और बहुत न्यूजवालों ने भी छापा था कि ग्रामवासियों को सूचना नहीं है, उसका ग्रामवासी विरोद्ध भी कर रहे हैं। तो मैं मानता हूँ, यहाँ पर आस–पास जो सारे पंचायत से पधारे हैं, आप लोगों में से कितनों को इस बारे में एक माह पूर्व सूचना थी। मैं कल की नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जो भी प्लांट लगता है उसे पूर्व एक माह पहले पत्रकार, सार्वजनिक मीडिया द्वारा प्रकाशित किया जाना चाहिए, क्या ऐसा किया इन्होने? नहीं किया तो, आज जनसुनवाई किस लिए रखी गई है? यह पर्यावरण, प्रदूषण हेतु जनसुनवाई हेतु अंतिम फैसला दिया जाएगा, इसके बाद कागजों में आपके यहाँ पर जेसीबी, एल. एन.टी., बड़े–बड़े डम्पर चलेगें, उसके बाद आप विरोध करने जाओगे, तो आपके विरोध का कोई महत्व रखने वाला नहीं है। अगर आपको यह प्लांट लगाना है या नहीं लगाना है, इसका फैसला आपको अभी लेना होगा। यही आपके भविष्य का निर्माण होगा, बाकी आज जितने भी प्रशासन आए हैं, यह लोलीपोप करके, खानापूर्ती करके आपकी भविष्य की जमीन छीनने का काम यही लोग करेंगे। मैं खुलेआम कहता हूँ, और मैं प्रशासन से कह रहा हूँ, किसी व्यक्तिगत को नहीं कह रहा हूँ। मेरी बात यही है, यह प्रशासन है, इनके पास भी ऊपर से आदेश होता है, यह यहाँ पर जनसुनवाई करने आए है, जनता खुश है या नहीं उसकी निगरानी करने आए हैं, और जो बात अपन रखेंगे इस मंच पर, वह बात ऊपर तक

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
सिरोही (राज.)

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

पहुंचाऐंगे। अगर जनता हाँ कहती है तो ऊपर लिखकर भेजेगे हाँ, यदि ना कहती है तो ना लिखकर भेजेंगे। यह प्रशासन का काम है। प्रशासन किसी के अधीन काम नहीं करता है, मैं उसका साक्ष्य हूँ। पहले भी हमारे क्षेत्र में कोई 80 हैक्टेयर का माईनिंग प्लांट लग रहा था, तो मैंने कलेक्टर साहब को लिखित में दिया और माईनिंग वहाँ नहीं लगा। आप सभी ग्रामवासियों से मेरा आग्रह है, की अगर यह फैक्ट्री यानी 3000 बीघा यानी 3200–3500 बीघा जमीन जा रही है आपकी, कल आपके आस–पास के मकान भी जाऐंगे। हमारे पास अल्ट्राटेक सीमेन्ट फैक्ट्री है, धीरे–धीरे आज 30 वर्ष पहले उनको लीज़ क्षेत्र में डाला गया था, उनको खुद को नहीं पता था कि लीज़ क्षेत्र में है। आपके यह बडे बडे बिल्डिंग है, कल यदि 3200 बीघा में आपका भी मकान आ रहा है तो वह लीज़ क्षेत्र में हो जाएगा। क्योंकि इसमें लिखा है 800 हैक्टेयर यानी 3200 बीघा प्लस हो जाता है, तो उसमें आपकी जमीन आ रही है, काश्तकार आ रहा है, किसी का कब्जा आ रहा है तो फिर आपको वह हटाना ही है। मैं आपसे यह कहता हूँ क्या यह प्लाँट लगाना है या नहीं लगाना है? तो आज हमारे यहाँ पर प्रभारी महोदय जी आए हैं, साथ ही एसडीएम साहब और डिप्टी साहब भी बिराजे हैं, आप सभी से ग्रामवासियों का यह आग्रह है कि यह पर्यावरण प्रदूषण की जनसुनवाई है उसकी हम पूरी आपत्ति करते हैं। प्लांट के लिए पूरी तरह से विरोध करते हैं। धन्यवाद।

7. **<u>श्री नरपत सिंह राणावत</u>**, बीजेपी जिला महामंत्री, ग्रामवासी, भीमाणा द्वारा कहा गया कि, आपको किसी को भी आक्रोशित होने की जरूरत नहीं है। सरकार की एक सतत् प्रकिया है। प्रकिया के अनुसार प्रशासन अपने बीच में, अपनी भावनाओं को सुनने के लिए यहाँ आते है। जो हमने भावना बताई है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि प्रशासन आपकी भावनाओं को उच्च स्तर तक पहूँचायेंगे। यह जनसुनवाई से पूर्व में भी बोला था, एडीएम साहब ने भी फरमाया है, आप सभी से निवेदन है कि आपकी जो भावना है और प्रशासन से भी मेरा निवेदन है कि इनकी भावनाओं को उच्च स्तर तक पहूँचाये। जय हिन्द, जय भारत।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
सिरोही (राज.)

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

8. **श्री बलवंत चौधरी,** पंचायत समिति सदस्य, भीमाणा, द्वारा कहा गया कि, जो कोई भी मैं हूँ, इस जनता की बदौलत हूँ। मैं श्रीमान् जी से कहना चाहता हूँ कि यह जो मंच लगा है जनता के बीच में, तो जनता की आवाज सुनने के लिए लगा है और हर हाल में जनता की आवाज सुननी पड़ेगी। दूसरी बात मैं और करता हूॅ, जैसा की सरपंच साहब ने बताया कि हमने कोई एनओसी जारी नहीं की, तो मैं आपको अवगत कराता हूँ कि ग्राम पंचायत की एनओसी से काम चलता तो प्रशासन अपने बीच में क्या लेने आता, यह सोचने वाली बात है। कोई कुछ भी कहे, उसके कहने पर नहीं चलना है। मोदी जी ने कहा मंगल ग्रह पर प्लॉट कटेंगे, तो मैं वहाँ भी लेने को तैयार हूँ। मैं माफी चाहता हूँ सबसे, यदि मैंने कुछ गलत कहा है तो और मैं प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ, कि यह लोकतंत्र है, लोगों की आवाज के विरूद्ध फैसला हुआ तो परिणाम उसका बड़ा गंभीर होगा। उसके जिम्मेदार आप होंगे। जय हिन्द, जय भारत।

क्षेत्रीय अधिकारी ने उपस्थित जनसमुदाय से निवेदन किया कि जैसा की इस सुनवाई के शुरूआत में भी मैंने बोला था कि हमने इस जनसुनवाई को इसलिए आयोजित किया है कि, आपकी बात सुनी जाए। प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसलिए आपके बीच में आए हैं कि आप अपनी बात कहें, आपत्ति लिखित में, मौखिक में जो भी कहना चाहें कहें, हम इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर्यावरण स्वीकृति देने नहीं आए हैं अपितु आपकी बात सुनने के लिए आए हैं। आप जो भी बात कहेंगे उसको पूरा रिकॉर्ड में लिया जायेगा। यह सुनवाई के जो भी मिनट्स या विवरण तैयार होगा उसकी पूरी रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफ्स, एक–एक चीज लिखित में, जो आप लिखित में दे रहे हें या मौखिक में दे रहे वो पूरा विवरण तैयार होगा और फिर सक्षम स्तर पर प्रेषित किया जायेगा। ऐसा नहीं है कि आपकी बात छुपाई जायेगी। आप जो भी बोल रहे हैं, वह पूरा रिकॉर्ड में आ रहा है। इसकी सतत् विडियोग्राफी चल रही है। अब आप लिखित में कोई ज्ञापन लाये हैं, तो उसे भी दे सकतें है और आप में से कोई बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। जो लिखित में ज्ञापन लाये हैं उनसे मेरा उनसे निवेदन रहेगा की आप

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
सिरोही (राज.)

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

एक–एक चीज पढ कर सुनाऐंगे तो प्रोग्राम लम्बा हो जायेगा। आप लिखित में जो लाये हैं वह आप दे दीजिए हम उसको रिकॉर्ड में लेगें। आपके पास एक्ट्रा कॉपी है तो इसकी रिसिप्ट भी ले लीजिए। पूरा रिकॉर्ड में लिया जायेगा आप बिल्कुल निश्चिन्त रहें।

जनता/ग्राम प्रतिनिधियों द्वारा अपने–अपने आक्षेप/शिकायतें दर्ज करवाने के बाद परियोजना प्रस्तावक के तकनीकी सलाहकार श्री अनिल जैन, द्वारा बताया गया कि पर्यावरण संरक्षण हेतु राशि रू. 10 करोड़ रखे गये हैं। खनन् के दौरान पर्यावरण को दो प्रकार से नुकसान पहुंचता है, जैसे हवा में धूल के कण, पत्थर तथा ध्वनि प्रदूषण होता है तथा दूसरा यह कि इससे कोई भूमिगत व सतह पर पानी है उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तीसरा प्रकार यह है कि यहाँ के जो वन्य जीव जन्तु हैं उनपर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हमारे द्वारा उक्त तीन प्रकार के रोकथाम हेतु प्रबंधन किया है। रू. 10 करोड़ राशि का जो प्रस्ताव रखा गया है, वह इसलिए है कि यहाँ पर खनन् के दौरान वायु पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़े। इस बाबत् हमारे पास जो ड्रिलिंग सिस्टम है, उसमें एक डस्ट एक्स्ट्रेक्शन सिस्टम लगता है तथा उसके साथ वाटर इन्जेक्शन सिस्टम लगता है। दूसरा प्रभाव यह पड़ता है कि जब खनन् किया जाता है तब उस क्षेत्र में खनन् करने से पूर्व वहाँ की भूमि को ड्राई फौग सिस्टम द्वारा गीला किया जाता है, जैसा की कई बार अपने बड़े शहरों में देखा होगा कि पानी फेंकने वाली एक बड़ी गन चलती है, जिससे कि वायु में उडने वाले धूल के कण नीचे बैठ जाये, वह मशीन खरीदी जाएगी जिससे भूमि को गीला किया जाए। जब पत्थर खदान से चलकर क्रशर तक आता है, उस समय जो सड़क बनती है उस सूखी सड़क पर यदि वाहन चले तो धूल उड़ने की समस्या बनी रहती है। इस हेतु हम रोड कॉम्पैक्टर का उपयोग करेंगे। रोड कॉम्पैक्टर सड़क पर पानी डालकर सड़क को इतना ठोस बना देता है कि वह मिट्टी जम जाती है और साथ ही पानी का छिड़काव ऑटोमेटिक सिस्टम से चले, ताकि पानी भी बर्बाद ना हो। जो ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम आता है उससे पानी का छिड़काव गाड़ी चलने से पहले किया जाए। यह

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
सिरोही (राज.)

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

सिस्टम हम लगाने वाले हैं। क्रशर पूरी तरह से ढका हुआ होगा। डस्ट कलेक्टर लगा हुआ होगा, चिमनी लगी होगी साथ ही वहाँ पर भी ड्राई फौग सिस्टम लगा हुआ होगा ताकी कोई भी धूल के कण क्रशर से बाहर निकल कर ना जाए। हमारा यह पूरा वायु गुणवत्ता प्रबंधन है। साथ ही साथ सतह पर बहने वाले जल जैसे नदी, नाले है, उनमें किसी भी प्रकार का खनन् से निकलने वाला पत्थर, धूल व कीचड़ बह कर नदी, नाले, तालाब में ना आये, उसकी रोकथाम के लिए खनन् पिट के चारों ओर गारलैंड ड्रेन बनाये जायेंगे, डी–सिलटिंग पिट बनायेंगे, जहाँ भी नाले निकल रहें हैं, उनके नीचे पाईप लगायेंगे जिससे कि प्राकृतिक बहाव में किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं हो। हमारे कार्यालय के स्नानघर/शौचालय से जो पानी निकलेगा तथा वाहन की धुलाई हेतु जो पानी निकलेगा उसके लिए ट्रीटमेन्ट प्लांट लगवाया जायेगा, जिससे सारा पानी हम पुनः उपयोग में लेंगे। यह हमारा जल गुणवत्ता प्रबंधन रहेगा। इसके अलावा आस पास के जो वन्य जीव है, उनके संरक्षण हेतु वन विभाग, सिरोही से सम्पर्क कर 4.75 करोड़ का प्लान प्रस्तुत किया है, जो कि हमें सरकारी विभाग में जमा करवाना है, जिससे कि यहाँ के वन्य जीव संरक्षित रहें। साथ ही साथ जो वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा तथा उनका प्रति वर्ष देखरेख भी किया जायेगा, जिसका खर्च लगभग रू. 47 लाख से रू. 50 लाख प्रति वर्ष आयेगा। यह खर्च आज दिनांक के अनुसार है। यह संभव है कि इन पर अमल करते समय यह खर्च 10 करोड़ से 10.50 करोड़ पहुंच जाए। यह सभी कार्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के समय–समय पर जारी आदेशों/नियमों/शर्तों के अनुसार किये जायेंगे, साथ ही पर्यावरण मंत्रालय, वन विभाग, खान विभाग तथा प्रशासन के जो भी आदेश हैं, सभी की पालना की जायेगी, जिसके लिए हमने पर्याप्त बजट रखा है। हम 80 लोगों को जो रोजगार देने वाले हैं। इस हेतु ट्रेनिंग सेन्टर खोला जायेगा, क्योंकि खनन् का कार्य पूर्णतः मशीनरी द्वारा किया जायेगा, जिसके लिए हमारे कार्मिकों का कुशल होना आवश्यक है। हमारे द्वारा यहां के लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिससे उनके पास सरकार से प्राप्त लाइसेंस हो, जैसे डंपर चलाने का लाइसेंस होना चाहिये ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो, किसी भी प्रकार के कानून की अवहेलना न हो। इन्हीं लोगों में से हम लोगों

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
सिरोही (राज.)

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

को रोजगार हेतु प्राथमिकता प्रदान करेंगे। आस–पास के गांवों को होने वाले फायदे इस प्रकार हैंः हमारा यह प्रयास रहता है कि हर हाथ में काम हो, सरकारी योजनाओं में हमारी भागीदारी रहे, विकास उत्थान जिसमें हमारी पहली प्राथमिकता रही है महिलाओं का सशक्तिकरण किस प्रकार हो, महिलाओं को किस प्रकार रोजगार प्राप्त हो इस हेतु हम चारों ग्राम पंचायत में महिला सशक्तिकरण ट्रेनिंग दी जायेगी जैसे सिलाई मशीन प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा सिलाई मशीन भी मुफ़्त में वितरित की जायेगी। लगभग 598 महिलाओं का 5 वर्ष हेतु टारगेट रखा गया है जिसमें हम उन्हें ट्रेनिंग दे सके जिससे वे स्वयं भी कमा सकें, जिसके लिए हमारे द्वारा लगभग 30 लाख का बजट रखा गया है। इसके अलावा हमारे पिट के आसपास की लगभग 24–25 हैक्टेयर कृषि भूमि है, उनमें हम एक प्रयोग करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे द्वारा बूंद से सिंचाई (Drip Irrigation) को बढ़ावा दिया जायेगा जिससे कम से कम पानी में अधिक से अधिक सिंचाई की जा सके। साथ ही किसानों को अधिक खेती करने हेतु बीजों की खरीद में व फव्वारा प्रणाली (Sprinkler System) में सब्सीडी प्रदान की ज़ायेगी तथा सरकार के अनुसंधान एवं विकास के वैज्ञानिकों को बुलवाकर उनसे ट्रेनिंग दिलवाई जायेगी व व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र यहाँ खोला जाऐगा जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। सरकारी विद्यालयों के भवनों का नवीनीकरण किया जायेगा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में नवीनीकरण किया जायेगा तथा पीने के पानी की समस्या को दूर करने के लिए प्रत्येक पंचायत में बोरिंग की जायेगी तथा जहाँ भी जरूरत है, उस अनुसार सोलार लाईट लगाने में सहयोग करेंगें। हमें PL (प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस) मिला थी। माइनिंग लीज अभी हमें आवंटित नहीं हुई है। अभी अध्ययन चल रहा है। सबसे पहले हमें लाइसेंस मिलता है जिसमें यह चेक किया जाता है कि जिस चीज का खनन् करने वाले हैं वह खनन् कितनी मात्रा में मौजूद है। क्या खनन् करना सही है अथवा नहीं? वर्तमान में केवल अध्ययन चल रहा है व जब इस अध्ययन को राजस्थान सरकार को दिया गया, यदि इसमें पत्थर है, चूना पत्थर है, सीमेंट ग्रेड का पत्थर है, उसके बाद उन्होंने हमें मंशा पत्र दिया, ना की सहमति पत्र। मंशा पत्र वह होता है जो कहता है आप इसका अध्ययन करें तत्पश्चात् यदि आप इस खदान को चला सके तो पुनः

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
सिरोही (राज.)

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

आए। यह जो माईनिंग लीज है वह चूना पत्थर (Cement Grade Stone) की है जो कि सीमेन्ट बनाने के ही काम आयेगी तथा भविष्य में यहॉ पर सीमेन्ट प्लांट लगाने की योजना है। वर्तमान में सीमेन्ट प्लांट के बारे में अध्ययन चल रहा है। आज की तारीख में तो ग्राम पंचायत से एनओसी की आवश्यकता नहीं है लेकिन भविष्य में हम सारी अनुमति लेगें, जैसे–जैसे प्रदूषण नियंत्रण मण्डल हमें बतायेंगे, हम ग्राम पंचायत से भी एनओसी लेगें। अभी हमें पर्यावरणीय स्वीकृति लेने को कहा गया, वन विभाग से स्वीकृति हेतु कहा गया है और साथ ही माईनिंग विभाग से बोला गया है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद अन्य जो हमें अनुमति लेनी होगी वो सब हम लेगें, उसके बाद ही हम शुरू करेंगे।

डॉ. राजेश गोयल, अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा तकनीकी सलाहकार से पूछा गया कि आप पर्यावरण प्लान के लिए लगभग राशि रू. 10 करोड़ का खर्च करेंगें तथा उसके रखरखाव हेतु रू. 47 लाख प्रति वर्ष खर्च करेंगें। क्या आपने इस हेतु कोई माइक्रो प्लान तैयार किया है या नहीं? इसके अतिरिक्त क्या उक्त प्लान में सीएसआर भी शामिल है? क्या उक्त के लिए कोई बजट प्रस्तावित है? आप द्वारा बताया गया कि जो 80 ग्रामीणों को रोजगार देंगे तो उनकी ट्रेनिंग, सुरक्षा व स्वास्थ्य पर किस तरह से ध्यान रखा जायेगा? जैसे कि आप द्वारा बताया गया की खनन् परंपरागत तरीके से न होकर, नई तकनीक (नॉन इलेक्ट्रिक) से होगा, इसके बारे में मैंने भी आज तक नहीं सुना है। क्योंकि यह तकनीक विज्ञान बता रही है, तो हमें मानना ही होगा। परंपरागत तकनीक में खनन् के दौरान पत्थर बहुत दूर तक उछलकर जाते थे। आप द्वारा यह भी बताया गया कि कुछ घर इस प्रस्तावित खदान से मात्र 50 मीटर की दूरी पर स्थित है। साथ ही आपने यह भी कहा कि वह घर इस खनन् की वजह से प्रभावित नहीं होंगे। आप यह भी बताये जो घर 50 मीटर के दायरे में आ रहें हैं उनकी सुरक्षा किस प्रकार से की जायेगी? दो–तीन बातें जो इसमें मुख्य रूप से सामने आई हैं वे यह है कि हमें सूचना नहीं मिली, तो मैं आपको बताऊँ, इससे पहले में पाली भी ए.डी.एम रहा, उससे पहले भीलवाड़ा में ए.डी.एम रहा, और भीलवाड़ा में तो जनसुनवाई बहुत होती थी, इतनी संख्या में तो मैंने वहाँ भी नहीं देखा लोगों को। इसका मतलब सूचना तो थी

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
सिरोही (राज.)

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

आपके पास। दूसरी बात, जो भी आप लोगों ने लिखित में दिया है, जो भी आप लोगों ने बोला है, लगभग–लगभग सभी वक्ताओं ने वो 4–5 बिन्दु यहाँ पर उठाये हैं। मेरे ख्याल से आपने आपत्तियाँ भी सभी से ले ली, और किसी की भी यदि रह गई हो तो, आगे आकर दे दीजिए, आपत्ति ताकी सभी की आ जाए। दूसरा, मैं इस जनसुनवाई के बारे में थोडा साफ कह दूँ कि, जनसुनवाई का मतलब यह है कि जो–जिसने–जैसा कहा है, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग यहाँ हो जाए और वैसी–की–वैसी हम लोग जो बैठे हैं यहाँ पर, हम ना इसके समर्थन में हैं और ना हम इसके विरोध में। जनसुनवाई का मतलब जो आपने कहा वो हमारे यहाँ से लिखित में ऊपर चला जाए और वह चला जाएगा इसमें आप निश्चिन्त रहिए। जो भी आपने कहा है और जो आपने लिखित में दिया है वह सब हूबहू हमारे यहाँ से सक्षम स्तर जो भी प्रदूषण विभाग का है, वहाँ जाएगा, यह मैं निश्चिंत कर सकता हूँ आप सभी को। इसमें आप बिल्कुल शक नहीं करें, कि आपने जो कागज दिया वो गिर जाए कहीं पर। आप रिसिप्ट नहीं लेते, तब भी मैं गारंटी देता हूँ उस बात की आपको कि जो कागज आपने दे दिया वो कागज यहाँ से लग कर जायेगा। यह आप निश्चिंत रहें। मुख्य मुद्दे जो आप तीन चार लोगों ने मुख्य रूप से उठाये आपने उठाये, तुषार जी आए उन्होंने उठाये, एक सरपंच जी आए उन्होंने उठाये। इसके अलावा यदि कोई बिन्दु हो, लिखित में तो आप जितना देना चाहे दे दें। लेकिन बोलते समय तो हमे यह ध्यान रखना ही होगा कि कोई नई बात और कहनी है तो बिल्कुल स्वागत है आपका यहाँ पर। बाकी तीन–चार प्रमुख लोग बाकी सारी बातें लगभग–लगभग कह चुकें। कोई नई बात नहीं है तो फिर अंतिम रूप से मैं दोहराता हूँ इस बात को कि कोई लिखित में देना हो तो और दे दें अन्यथा मैं आर.ओ साहब से कहूंगा कि इसको समापन या अंतिम शब्द कह कर इसको समापन पर ले जाए।

उक्त जनसुनवाई के दौरान कुल 120 लिखित व दो ई–मेल द्वारा आपत्तियाँ/सुझाव/ज्ञापन प्राप्त हुए हैं **<u>(अनुलग्नक–र)</u>**।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
सिरोही (राज.)

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अन्त में क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सिरोही द्वारा उपस्थित जन समुदाय को धन्यवाद करते हुए अतिरिक्त जिला कलक्टर, जिला–सिरोही की अनुमति से जन सुनवाई की समाप्ति की घोषणा की गई।

संलग्नः– उपर्युक्तानुसार।

(बी.आर. सियाग)
क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
सिरोही।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
सिरोही (राज.)

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
जिला–सिरोही।